



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0 /1101/ 2024

दिनांक:-29 मई, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त महाविद्यालय,

संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,

अलीगढ़।


विषय:-प्रवेश नियमावली के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.05.2024 में अनुमोदित विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रवेश नियमावली में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार ही महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक महाविद्यालय उस पाठ्यक्रम में कतई प्रवेश न ले, जिस पाठ्यक्रम में उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सत्र 2024-25 हेतु सम्बद्धता प्राप्त नहीं है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय


डा0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।


उप कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र-2024-2025

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के लिए प्रवेश नियमावली

प्रवेश नियम

1. प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल [https //rmpsuweb.in](https://rmpsuweb.in) पर समयबद्ध सफल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल [https //rmpsuweb.in](https://rmpsuweb.in) के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जायेंगे।
3. 10 प्रतिशत आरक्षण नीति EWS (सामान्य श्रेणी के लिये निर्धारित कुल सीट्स का 10 प्रतिशत अर्थात् यदि कुल स्थान 100 हो तो सामान्य श्रेणी की 50 सीट्स में से 5 सीट EWS श्रेणी) के लिए अनुमन्य है।
4. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

यह प्रवेश नियमावली विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम यथा डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (वर्तमान में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ पर लागू) के अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान, कृषि, प्रबन्धन, शिक्षा तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा, जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) के माध्यम से किये जायेंगे। इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offline / Online माध्यम से पूर्ण करके जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
4. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट [https //rmpsuweb.in](https://rmpsuweb.in) के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एवं प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/- रू० तथा परास्नातक स्तर पर 300 /- रू० शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।





सामान्य निर्देश

1.(अ) सत्र 2024-2025 के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रवेश उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षण के हकदार होंगे। अन्य प्रदेशों से आये हुए अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनारक्षित व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में उ0प्र0 शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, (Non Creamy Layer) 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। यदि कश्मीरी छात्र व छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि आरक्षित वर्ग एस०सी०/एस०टी०/ ओ०बी०सी० वर्ग (OBC/SC/ST) के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है तब उसको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा। अन्य आरक्षण जैसे दिव्यांगजन आदि क्षैतिज आधार पर होगा।

(ब) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर प्रत्येक कालेज को प्रवेश नियमावली अपलोड कराना होगा। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(स) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है एवं प्रवेशोपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में योग्यतांक सूची में स्थान प्राप्त करता है और वह उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रद्द कराना होगा। ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा को 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में प्रवेश की तिथि से आवेदन करना होगा। 90 % शुल्क की वापिसी कॉलेज द्वारा अधिकतम 2 माह के अन्दर छात्र/छात्रा को करनी होगी।

2. (i) सत्र 2024-25 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये जायेंगे तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/- रु० उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ii) एलएल0एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक अनारक्षित श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(iii) एलएलबी० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक अनारक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(iv) बी0ए0 एलएल0बी० पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(v) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, ऐसे छात्रों को स्नातक एवं बी0ए0एलएलबी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(vi) बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी०पी०ई०एस० 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एन०सी०टी०ई० की अन्य शर्तें मान्य होंगी।

(vii) बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जायेंगे।





(viii) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा जाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट मान्य होगी।

(ix) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु चयनित विषय स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा गया हो। उपरोक्त विषयों में स्नातक अनारक्षित एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंको की छूट अनुमन्य होगी।

(x) एम0एससी0 (एग्रीकल्चर) में प्रवेश हेतु, ऐसे छात्र जिन्होंने बी0एससी0 (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एससी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एससी0 (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एससी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xi) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xii) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर (बी0एड0 को छोड़कर) के लिए महाविद्यालयों में आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2024 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने के तिथि 01 जुलाई, 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि 01 मई 2024
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि 01 जुलाई, 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2024
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन-पाठन आरम्भ करने की तिथि 16 जुलाई, 2024
- स्नातकोत्तर एवं विधि (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2024
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि 16 जुलाई, 2024

नोट-सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय-समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है।

• उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

4. नियमानुसार एलएल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एलएल0बी0 08 वर्ष, स्नातक-कृषि अधिकतम 07 वर्ष, स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 09 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र कुल 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक), परास्नातक अधिकतम 06 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक) में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। दो वर्ष का अन्तराल वाले छात्र/छात्राओं को ही महाविद्यालय द्वारा

१२/१

१

प्रवेश दिया जायेगा। इससे अधिक अन्तराल वाले छात्र/छात्राओं को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जायेगा। अन्तराल के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा को निम्न चार बिन्दुओं पर रू० 10 के स्टाम्प पेपर पर प्राचार्य के सम्बन्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया हो।
2. किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
3. किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो।
4. कहीं सेवारत न हो।

5. प्राचार्य को प्रवेश के सम्बन्ध में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की परिनिघमावली डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश-19 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे।

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college He shall however duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा इंकार किया जा सकता है।

(अ) यदि अन्यर्था किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(ब) यदि अन्यर्था किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी-

(i) बी०एससी० (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित वर्ग या समवक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(ii). बी०एससी० (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग या इण्टर कृषि वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii). बी०एससी० (कृषि) के लिए कला वर्ग को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी गुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(iv). बी०ए०/ बी०कॉम० के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(v). बी०एससी० (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में से किसी भी पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ब) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एससी० (कृषि)/ बी०एससी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को न्यूनतम 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ०प्र० बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट / अंक दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे।

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है।

अक्ष

h

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक-ii व क्रमांक-iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक-i के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(a) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(b) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य चक्रानुसार।

(c) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसिन विभाग का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट:-कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समय-समय पर जारी किए गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक-स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(vii) समिति का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) स्नातक कक्षार्ये:-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 %.

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 %.

(ख) स्नातकोत्तर कक्षार्ये:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षार्ये:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ..

(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक

(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक

2. एन०सी०सी० 'सी' सर्टीफिकेट / जी-2 उत्तीर्ण क्रेडिटों को

8 अंक

अख

—

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट / जी-1 उत्तीर्ण क्रेडिटों को

6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० क्रेडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है तथा 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र / पौत्री)

5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को

5 अंक

5. बी०कॉम० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षार्यः:-

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए

8 अंक

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए

7 अंक

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए

6 अंक

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए

3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए-

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए

5 अंक

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए

4 अंक

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए

3 अंक

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए

2 अंक

3. एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट / जी-2 उत्तीर्ण क्रेडिटों को

8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट / जी-1 प्रमाण पत्र धारक क्रेडिटों को

6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० क्रेडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2

3 अंक

कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

4. एन०एस०एस० में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प

5 अंक

पूरा करने के लिए

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली

3 अंक

में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो।

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए





5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

नोट:-

(क) उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन०सी०सी० अधिकारी / एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र / रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायें:

(i). राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्तपोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी / अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्र/पुत्री ।

17 अंक

(ii). भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

(iii). भारतीय सेना / पैरा मिलिट्री फोर्स / अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी०ए०सी०) में कार्य करते हुये शहीदों के पुत्र / पुत्री / विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणी:

(i). प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा। यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

(ii). प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iii). प्रवेश हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने हेतु संबन्धित प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा संलग्न प्रमाण पत्र वैध हो अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत समझा जायेगा।

नोट-

(iv). किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

(v). शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन०सी०सी० अधिकारी / एन०एस०एस० अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर संलग्न करना होगा।





(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा। लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 30 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(य) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(र) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(ल) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(व) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं व सूचियों की अद्यतन "अप-टूडेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का ही होगा।

9. आवेदक यदि किसी आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

10. यदि छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और छात्र/छात्रा ने इंटर की परीक्षा यू०पी० बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड अथवा प्रांत से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कुलपति
असक